भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3044
6 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

शीत-श्रृंखला विकास से संबंधित योजनाएं

†3044. श्री संजय दिना पाटीलः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में मुंबई के लिए शीत-श्रृंखला विकास, खाद्य संरक्षण, भांडागारण और एकीकृत खाद्य पार्कों से संबद्ध योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मुंबई को आपूर्ति किए जाने वाले शीघ्र नाशवान कृषि और समुद्री उत्पादों की हैंडलिंग, भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण में सुधार करने के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाएँ क्या हैं, आवंटित निधि कितनी है और सृजित की गई अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन पहलों का भोजन की बर्बादी कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और मुंबई में अच्छी गुणवत्ता के खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर पड़े प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मुंबई के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य संरक्षा मानकों और आधुनिक प्रसंस्करण अवसंरचना को और सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत घटक योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है, जो एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना, मेगा फूड पार्कों, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की सहायता करती हैं, जिससे विभिन्न स्तरों पर शीत भंडारण, गोदाम, खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य परिरक्षण अवसंरचना के निर्माण की सुविधा मिलती है। मंत्रालय द्वारा नियुक्त कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) द्वारा पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की गई है। इसके अतिरिक्त, संबंधित योजनाओं के अंतर्गत गठित तकनीकी समिति (टीसी) और परियोजना स्वीकृति समिति (पीएसी) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहित, जो मुंबई क्षेत्र की सेवा करती हैं ,देश भर में स्वीकृत चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की है।

(ख): दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में कुल 204 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनके लिए कुल 1,241.54 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है। ये

परियोजनाएं नाशवान कृषि प्राकृतिक सामग्री और प्रसंस्कृत उत्पादों के परिरक्षण के लिए 2.98 लाख मीट्रिक टन की शीत भंडारण क्षमता के निर्माण और नाशवान कृषि प्राकृतिक सामग्री तथा तैयार प्रसंस्कृत उत्पादों के परिरक्षण व परिवहन के लिए 403 रीफर वाहनों / कृषि-लॉजिस्टिक्स की खरीद को सुविधाजनक बनाती हैं। महाराष्ट्र राज्य में इन 204 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से 10.04 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की खाद्य परिरक्षण क्षमता और 89.08 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का निर्माण हो सकता है । इन परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित अवसंरचना मुंबई क्षेत्र सहित पूरे राज्य में नाशवान कृषि और समुद्री उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में सहायक हो सकती है।

(ग): भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर की पहचान करने और विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए फसलोत्तर नुकसान का अनुमान लगाने के लिए एमओएफपीआई द्वारा समय-समय पर विभिन्न आकलन किए गए हैं। ये आकलन मुंबई सहित पूरे देश में एकत्र किए गए प्राथमिक डेटा पर आधारित हैं और खाद्य प्रसंस्करण तथा फसलोत्तर नुकसान का फसल-वार अनुमान प्रदान करते हैं। हालाँकि, अब तक इस मंत्रालय ने खाद्य अपव्यय को कम करने, किसानों की आय में सुधार करने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष रूप से इन पहलों के प्रभाव की पहचान करने के लिए कोई आकलन नहीं किया है।

(घ): एमओएफपीआई तीन योजनाओं अर्थात् (i) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), (ii) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना, और (iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । इन योजनाओं का उद्देश्य खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, खाद्य सुरक्षा मानकों को बढ़ाना और मुंबई क्षेत्र सहित पूरे देश में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना है।
